राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामलाल बनाम मुरली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 432/2018	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 16/01/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
16/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 लगा. 3 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि विवादग्रस्त भूमि हाल खसरा नम्बर 66, 67, 87, 88, 107, 109/383, 109/553, 86/446 ग्राम किशनपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण घोषणा का डिक्री कर वादीगण के कब्जे खातेदारी की भूमि हाल खसरा नम्बर 66, 67, 87, 88, 107, 109/383, 109/553, 86/446 ग्राम किशनपुरा, तहसील आमेर, ज़िला जयपुर का वर्तमान नक्शा विधि विरुद्ध व शून्य प्रभावी है एवं वादीगण उक्त भूमि के पूर्व में भू-प्रबन्ध अनुसार नक्शे की सीमाए रखते हुए नया नक्शा कशीद करवाने के अधिकारी है तथा स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात हाल रेस्पो. संख्या 4 लगायत 7 की और से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब दावा प्रस्तुत किये जाने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11/11/2016 को तनकीयात कायम की गयी, उसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 पारित करते हुये वाद वादी खसरा नम्बर 107 व 109/383 नक्शा दुरुस्ती डिक्री किया जाकर तहसीलदार आमेर को गत खसरा नम्बर 67 के नक्शे अनुसार हाल खसरा नम्बर 107 व 109/383 के नक्शे को पूर्वी दिशा में दुरुस्त कर हाल खसरा नम्बर 106 की पश्चिमी दिशा में भूमि कम कर हाल खसरा नम्बर 107 व 109/383 में मिलाये जाने के निर्देश प्रदान करते हुये शेष भूमि के सम्बन्ध में वाद वादी ख़ारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	रामलाल बनाम मुरली हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आमेर से तुलनात्मक रिपोर्ट प्राप्त कर जाहिर तथ्यों का परिक्षण करते हुये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 06/06/2018 विधिसम्मत एवं न्यायोचित्त प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	